LOK SABHA

Monday, May 14, 1973/*Vaisakha* 24, 1895 (*Saka*)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED STATIONERY SCANDAL IN STATE BANK OF INDIA, NEW DELHI

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारें में एक वक्तव्य दें :

"नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थानीय शाखा में चालीस लाख रुपये की लेखन सामग्री (स्टेशनरी) का कथित घोटाला"

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : Mr. Speaker, Sir, the State Bank of India has reported that on receipt of certain complaints towards the end of 1971, regarding over-stocking and unsatisfactory handling of stationery at the Regional Stationery Department, New Delhi, it had asked its Chief Vigilance Officer at the New Delhi Local Head Office, to make a thorough probe into the matter. The investigation by the Chief Vigilance Officer revealed the following irregularities :—

(i) placing of orders for stationery in several cases in excess of actual requirements and in some cases of items which had become obsolete ;

(ii) effecting payments in some cases for stationery received which had not been ordered for and in some other cases paying bills at rates higher than the approved rates ;

(iii) accepting in some cases inferior paper for printing and for registers and envelopes, instead of good quality paper of approved weight ; and

(iv) furnishing of incorrect information in several cases to the Rates Committee for sanction of rates.

On the basis of the report of the Chief Vigilance Officer, the bank has initiated departmental proceedings against three officers of the Stationery Department. Of the three, two have been placed under suspension by the bank. All the three Officers have been subsequently charge-sheeted by the bank and their explanations have been called for. The bank has also called for the explanation of a few other officers, who have been found responsible for certain other procedural irregularities and lapses in handling, purchase and stocking of stationery.

The State Bank of India has reported that on the basis of the scrutiny conducted by it, out of the stationery of total value of Rs. 114 lakhs purchased by the Regional Stationery Department, New Delhi, during the four years, the total amount of over payments would be in the neighbourhood of Rs. 1·22 lakhs-here, I have an addition—and over-stocking of 45 lakhs.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री महोदय कह लें।

श्री मधु लिमये : जो वाक्य जोड़ा जा रहा है, उस पर है।

अध्यक्ष महोदय : जरा ठहरिये।

श्री मधु लिमये : इस सदन की प्रक्रिया नियमों के अनुसार चलनी चाहिये, मैं 23 तारीख से प्रार्थना कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय मैं ठीक कह रहा हूं। आप को मौका मिलेगा, उस वक्त कहें।

श्री मधु लिमये : वह अलग बात है। मुख्य विषय के बारे में जो कहना है वह मैं बाद,

में कहूंगा, लेकिन इस समय मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं जानता हूं कि किस समय कौन सवाल उठाना चाहिये। इतना बुद्धू नहीं हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप बार-बार ऐसा क्यों करते हैं। कौन सवाल किस समय उठाना चाहिये, क्या इतनी भी अक्ल मुझ में नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर के स्टेटमैंट के दर्म्यान कुछ नहीं होना चाहिये।

श्री मधु लिमये : आप कहेंगे कि मैं बोलने नहीं दूंगा तो मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : जो भी आप को कहना हो वह स्टेटमैंट के बाद कहिये।

श्री मधु लिमये : क्या आप इस पर व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे बोलने नहीं देंगे? क्या नियमों को आप खत्म कर देंगे? किसी भी समय सदन की कार्रवाई के बारे में और सदन के सामने जो चर्चा का विषय हो उस के बारे में नियमानुसार व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है। आप 376 देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बाद में उस को उठाइये।

श्री मधु लिमये : अगर आप ने प्वाइंट आफ आर्डर के लिये मनाही का हुक्म जारी कर दिया है तो मैं बैंठ जाता हूं, लेकिन क्या नियमों का कोई औचित्य नहीं है, नियमों का कोई महत्व नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मिनिस्टर के स्टेटमैंट के बाद मेम्बरों को मौका मिलता है और वह उठा सकते हैं।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का प्रश्न तुरन्त उठता है। मैं ने ठीक समय पर उठाया है। अगर आप अनुमति नहीं देते हैं तो मैं बैठ जाता हूं या सदन छोड़ कर भी चला जाता हूं। मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। आप 376 की तहत मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने देंगे या नहीं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यहां प्वाइंट आफ आर्डर मना करने की बात नहीं है। यहां हम ने आपस में जो परम्परा बनाई है, जो कन्वेंशन है, उस के मुताबिक मैं कहना चाहता हूं।

श्री मधु लिमये : आप परम्परा और कन्वेंशन की बात करते हैं, मैं नियमों की बात करता हूं, और किसी चीज की नहीं। 376 देखिये।

अध्यक्ष महोदय : नियमों की बात अलग है। हाउस ने यह तरीका माना हुआ है कि क्वेश्चन अवर में और काल अटेंशन में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जाता।

श्री मधु लिमये : आप मुझे नियम पढ़ने दीजिये। उस के बाद आप जो चाहे कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी जानता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न हर एक उठा सकता है और हर वक्त उठा सकता है, लेकिन आपस में हाउस में एक परम्परा चली आई है कि जब प्रश्नों का समय हो तब नही उठाया जायेगा और जब काल अटेंशन हो तब नहीं उठाया जायेगा दो मिनट में स्टेटमैंट हो जायेगा उस के बाद माननीय सदस्य को हक होगा बोलने का। वह बोलेंगे और मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। अगर उन को मौका न मिले तब वह कुछ कह सकते हैं।

श्री मधु लिमये : प्वाइंट आफ आर्डर पर बाद में नहीं बोलना होता है। आप मुझ को नियम पढ़ने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय नियम मुझे पता है।

श्री मधु लिमये : आप मुझ को नियम पढ़ने तो दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जो नियम है उस के बावजूद हाउस ने आपस में यह तरीका बनाया हुआ है कि इस समय प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जायेगा। आप जिस दिन से आ

उसी दिन से जो हम ने आपस में तय किया है उस को खत्म कर रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : जो बात प्राइवेटली हुई है उस से मुझे कोई मतलब नही है । आप सिर्फ यह निर्णय दे दीजिये कि आप ने प्वाईंट आफ आर्डर की मनाही का हुक्म जारी किया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : प्वाइट आफ आर्डर की मनाही की बात नही है । अगर आप कोई तरीका नही मानते हैं तो यह हर एक मेम्बर पर चलेगा । यह नही होगा कि एक मेम्बर पर चले और दूसरे मेम्बरो पर न चले । अगर इस तरह से तरीको का तोडा जायेगा तो कोई तरीका नही माना जायेगा । यह क्या तरीका है कि अभी तक जो कुछ चलता आया है उस को खत्म कर दिया जाये? आनरेबल मिनिस्टर दो मिनट के बाद खत्म करने वाले हैं, उस के बाद माननीय सदस्य को मौका मिलेगा, जो कुछ उन को उठाना हो उस के बाद उठा सकते हैं ।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का प्रश्न उस समय नही उठाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : आप उस वक्त उठा सकते हैं । मंत्री महोदय उस का जवाब दे देंगे ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय आप मुझे यह व्यवस्था का प्रश्न उठाने दे ।

अध्यक्ष महोदय : उठाइये, लेकिन उस के बाद मुझे सब मेम्बरो को यह इजाजत देनी पड़ेगी । फिर कोई परम्परा नही रहेगी ।

श्री मधु लिमये इस मे क्या गलत बात है नियम इसी लिए बनाए गए है कि समान रूप मे सब सदस्यों पर लागू हो ।

SHRI PROBODH CHANDRA (Gurdaspur) · Convention is as much as the rule

SHRI JYOTIRMOY BOSU. (Diamond Harbour)· Convention cannot be as much as a rule, never. That is your convenience

MR. SPEAKER: If you want to break all the conventions, there will be no end to it

एक परम्परा बनी हुई जिसको माननीय सदस्य तोड रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को वित्त मंत्री का जो वक्तव्य पहले दिया गया था, मै यह छान-बीन करने लगा कि क्या उसमें यह महत्वपूर्ण बात है या नही कि कुल मिला कर कितने रुपये का घोटाला हुआ है । मुझे मालूम हुआ कि ऐन वक्त पर वह उस में ओवरस्टाकिंग के कारण 45 लाख रुपये के घोटाले की बात जोड रहे हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आप को पहले इस की सूचना थी—क्या उस के लिए आप की इजाजत ली गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए?

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय के बयान की जो प्रति हम लोगो को दी गई, क्या उस मे परिवर्तन करने के लिए मंत्री महोदय ने आप की इजाजत ली थी । क्या उन्होंने आप को इस बात की सूचना दी थी और आप से इजाजत ली थी कि जिस 45 लाख रुपये के घोटाले के मामले का बयान मे उल्लेख नही था, वह उस को अपने बयान मे जोड सकते है ? आप मेरे इस व्यवस्था के प्रश्न पर रूलिंग दीजिए ।

MR SPEAKER The Minister has got the right, he has got the right to amend it even till the last minute I am told that he has already conveyed it to the Table

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय को पहले लिख कर नही देना चाहिए? वह इतनी महत्वपूर्ण बात ऐन वक्त पर जोडते है! क्या आप हमारे पर्मानेन्ट एक्स नेनेशन मे भी बिना अपनी अनुमति के परिवर्तन करने देंगे ? आप आगे के लिए निर्णय दीजिए कि क्या आगे इस तरह के परिवर्तन की इजाजत दी जायेगी या नही ।

अध्यक्ष महोदय : इस मे पहले भी एक दो बार यह सवाल उठाया गया था और यह तय हुआ था कि मिनिस्टर लास्ट मिनट तक चेंज कर सकते हैं ।

He has just to inform the Table.

श्री मधु लिमये : उन को पहले ही करना चाहिए था। यह कोई मामूली बात नहीं है, जिस को लिखने वाला भूल सकता है।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : The total amount of overpayments would be in the neighbourhood of Rs. 1·22 lakhs and overstocking of Rs. 45 lakhs. This is the one sentence I am adding..(*Interruptions*) If you ask a supplementary I shall explain it.

The bank has initiated action for recovering amounts paid in excess to the suppliers concerned. Value of losses on account of inferior material supplied is being worked out. Stationery received in excess of requirements is being utilised by transfer to branches in other circles where it is needed.

The bank has also added that it has taken suitable steps for ensuring the strict observance of prescribed procedures by the Regional Stationery Department, New Delhi, for printing, purchase, stocking and distribution of stationery.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से और आप की मार्फत अपने मित्र, श्री ज्योतिर्मय बसु को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि (**व्यवधान**)

SHRI HARI KISHORE SINGH: (Pupri) Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order. What Shri Madhu Limaye is saying is quite irrelevant to the subject. I want your ruling.

अध्यक्ष महोदय: मै बधाई देने से किस को रोक सकता हूं ?

SHRI HARI KISHORE SINGH : Is it relevant to the call attention motion or not ? On this I want your ruling.

अध्यक्ष महोदय : इस में क्या रूलिंग देना है ?

श्री मधु लिमये : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को इस लिए बधाई देना चाहता हूं कि पिछले दो साल की विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में, स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में जो धांधलियां चलती हैं, उन की ओर इस सदन का ध्यान दिलाने का बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। स्टेट बैंक आफ़ इंडिया इस देश का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक था और 1956 में उस की स्थापना हुई। वर्तमान बैंक व्यवस्था में इस बैंक का स्थान कितने महत्व का है, मैं इस के बारे में कुछ आंकड़े सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

सब व्यापारी बैंकों की जितनी शाखायें हैं, उन में 19 प्रतिशत शाखायें अकेले स्टेट बैंक की हैं। इस सम्बन्ध में जो आंकड़े उपलबध हैं, मैं उन्ही के आधार पर बता रहा हूं। कुल जितने डिपाजिट्स हैं, उन में से 22 प्रतिशत डिपाजिट्स स्टेट बैंक के पास है। व्यापारी बैंकों के द्वारा जो कर्जे या अग्रिम दिये जाते है, उन मे 23 प्रतिशत स्टेट बैंक के द्वारा दिये गये है। व्यापारी बैंकों के कुल जो कर्मचारी हैं, उन में मे 27 प्रतिशत अकेले स्टेट बैंक के है।

मैने स्टेट बैंक के 1970-71 और 1971-72 की रपटें देखी है और उन रपटों मे उन्होंने अपनी प्रगति और तरक्की का गीत गाया है कि हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक क्षेत्र के बारे मे उन्होंने खामोशी बरती है—यह कि जिस तरह स्टेट बैंक की शाखायें, डिपाजिट्स और कर्ज़ों की राशि बढ़ रही है, उसी तरह घोटालों, घूसखोरी और अकार्यक्षमता के मामले मे भी स्टेट बैंक बहुत तेज़ी से तरक्की करता चला जा रहा है।

डा० कैलाश (दक्षिण बम्बई) : अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटेन्शन नोटिस मे प्रश्न पूछा जायेगा या भाषण दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : पहले स्पीकर को ज्यादा दस मिनट दिये जा सकते हैं। उस में वह प्रश्न पूछे या भाषण दें, लेकिन वह रेलिवेंट होना चाहिए।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : This is the style every one is adopting. Why has Shri Madhu Limaye been singled out ?

श्री मधु लिमये : अगर मेरी बातें उन को चुभती हैं, तो उन पर कोई जबर्दस्ती नहीं है

कि वह सदन मे बैठे रहें । अगर मै कोई असंसदीय या अशिष्ट बात कहू, या गाली गुलोच करू, तो अध्यक्ष महोदय, आप मुझे रोक सकते है । (**व्यवधान**) मे कहना चाहता हू कि स्टेट बैंक आफ इडिया एक क्षेत्र मे बडी तेजी से प्रगति क्या घुडदोड कर रहा है, और वह है घोटाले, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले मे ।

अध्यक्ष महोदय, 1971 हमारी राजनीति मे एक ऐसा साल था कि राजनीति ने एक करवट बदली और आज घर मत्नी का भाषण मै ने पढ़ा कि समाजवाद के हम यात्री है और बडी तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहेहै ।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड) : प्वाइट आफ आर्डर सर । यह हमेशा के लिए निर्णय हो जाना चाहिए । होम मिनिस्टर और गृह मत्नी यह दो आफिशियल टर्म्स हमारे यहा है । घर मत्नी ऐसा कोई हमारे यहा पर आफिशियल टर्म नही है । क्या आप इस तरह के अनआफिशियल टर्म्स इस्तेमाल करने की इजाजत देगे ?

श्री मधु लिमये मै बाजारू भाषा का इस्तेमाल करता हू ।

श्री बी० पी० मौर्य मेरा निवेदन आप से यह है कि अगर ये अनआफिशियल टर्म्स आप ने एलाऊ किए तो कोई तार मत्नी कहेगा कोई कुछ कहेगा, न जाने किस-किस तरह के टर्म्स आ जाएगे । अपने जो मन्त्रालय है उन के लिए जो अंग्रेजी के शब्द है वह अंग्रेजी मे और जो हिन्दी मे है वह हिन्दी मे आने चाहिए । यह जो मधु लिमये जी ने अभी लफ्ज इस्तेमाल किया है घर मत्नी, ऐसा कोई शब्द नही है । यह मै भविष्य के लिए कह रहा हू ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय मैं कोई पणिताऊ हिन्दी का कायल नही हू । उर्दू के शब्द भी चलेगे और चौराहे के शब्द भी चलेगे । होम माने घर । 58 करोड लोग मेरी बात को समझते है ।

अध्यक्ष महोदय : और सब चलाइए, गुडई मत चलाइए ।

श्री मधु लिमये : धन्यवाद । अध्यक्ष महोदय, घर मत्नी ने कहा कि अब हम समाजवाद के पथ के यात्री है । अगर वह यह कहते कि हम मारुति-समाजवाद के पथ के यात्री ह तो बात समझ मे आती क्योंकि 1971 के बाद क्या हुआ है ? एक तो 60 लाख का मामला इसी स्टेट बेंक का है जिस के बारे मे अभी तक सफाई नही हो पाई है और यही वजह है कि 60 लाख के मामले मे चूकि सख्त कार्यवाही नही की गई, सारे तथ्य सामने नही लाए गए इसलिए स्टेट बेंक के जो बडे बडे अफसर है उनकी जुर्रत होती है कि इस तरह के काम वे करे । मैं आप से जानना चाहता हू कि जब स्टेट बैंक के मामले मे 60 लाख के घोटले के बारे मे जो सत्य बाते रख सकते थ उनकी आवाज को हमेशा के लिए शात किया गया नागरवाला और काश्यप साहब की आवाज को तो क्या इस मामले मे इसी तरह की कार्यवाही होगी जिस से इस घोटाले का परिस्फोट करने की शक्ति रखने वाले लोग या जिन को जानकारी है वह लोग भी हमेशा के लिए शात किए जाएगे ? अखबारो मे तो प्रधान मत्नी को धमकी के पत्न आए ह उस की चर्चा है लेकिन मुझ को कल मे चिट्ठिया मिलने लगी है कि प्रधान मत्नी की आलोचना करना बद करो वरना कुत्ते की मौत स मरोगे । इस तरह की धमकियो का क्या मतलब होता है ? (**व्यवधान**) मैं इसी पर बोल रहा हू । 60 लाख के घोटाले मे जो लोग पकडे गए थे या जो लोग जाच कर रहे थे उनकी अगर जान चली जा सकती है तो क्या वित्त मत्नी इस घोटाले की जाच करेगे तो आश्वासन देगे कि ऐसे लोगो के साथ वही व्यवहार नही किया जाएगा जो 60 लाख वाले मामले मे किया गया ? कुछ कांग्रेसियो ने मुझ से आकर कहा कि स्टेट बैंक के वाल्ट और चैस्ट का इस्तेमाल, इनका जो चुनाव कोष है जिस का इस समय आकडा कांग्रेसी लोग ही मुझ को कहते थे कि 52 करोड तक पहुच गया है, किया जाता है, वह कहते है आप लोगो की क्या हिम्मत है उत्तर प्रदेश मे हमरा मुकाबिला करने की,

[श्री मधु लिमये]

इसलिए वित्त मंत्री महोदय इस बात की भी सफाई दें कि स्टेट बैंक के वेस्ट का और वाल्ट का इस्तेमाल इस एकाउंट में इकट्ठा किए गए पैसे को रखने के लिए नही किया जाएगा ? इस तरह का भी आश्वासन मै इसके बारे मे चाहता हू ।

अब यह जो वित्त मंत्री का बयान है इस के तीन मुद्दो की ओर मै आपका ध्यान खीचना चाहता हूं । पहले तो इन्होने यह लिखा था कि—

"The total amount of over-payment would be in the neighbourhood of Rs. 1,22,000/"

और उसके बाद अब 45 लाख का आंकडा जोड दिया है ओवर स्टाकिंग का उस के ऊपर

"the value of loss on account of inferior material"

उसके ऊपर भी हिसाब किताब चल रहा है । यह मामला कितना पुराना है यह देखें, यह 1971 के अन्त का मामला है। तो

"the value of loss on account of inferior material supplied has been worked out."

कितने साल यह प्रक्रिया चलेगी ? दो साल, तीन साल, पाच सालसात साल या हम जब इस दुनिया से मिट जाएगे तभी यह जानकारी सदन के सामने आएगी ?

उसी तरह इन्होने यह कहा कि जो ओवर स्टाक है जिस का कुल मूल्य इन्होने 45 लाख बताया है, इस का ठीक इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरे कामो के लिए, यह भी इन्होने इस में कहा है । तो मंत्री महोदय से मै यह जानना चाहता हू कि जो जाच आप कर रहे है आन्तरिक जाँच उस पर अब न देश का विश्वास रहा न इस सदन का विश्वास रहा । तो क्या यदि अध्यक्ष महोदय, इस मामले की और 60 लाख के घोटाले की जांच करने के लिए संसदीय कमेटी नियुक्त करेंगे तो क्या आप इस से आनन्दित नही होगे ? क्योकि ऐसा करने से आप की जो निष्पक्षता है वह देश के सामने और सदन के सामने आ जाएगी । यदि आप इस का विरोध करेंगे तो और कौन सा जांच का तरीका आप ने सोच रखा है जिस से वह जानकारी सदन को दी जा सके ?

अंत में मै कहना चाहता हूं कि यह 45 लाख का जो ओवर स्टाकिग हुआ यह जनता की पूजी का कितना दुरुपयोग है आप सोच सकते हैं । यह रकम यदि पम्पिंग सेटों को लगवाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती तो इस मे कम से कम 25-30 हजार पम्पिंग सेट आसानी से लग सकते थे । इस से जो पैदावार बढती अनाज की उस से इस वक्त दाम वृद्धि को लेकर जो देश संकट में पडा हुआ है उस को रोकने मे क्या यह 30 हजार पम्पिंग सेट कारगर साबित नही होते? तो मंत्री महोदय इन बातो का भी जवाब दे । (**व्यवधान**) ... मैं खत्म कर रहा हू । स्टेट बैंक के उद्देश्यो को मैं आपको पढ कर सुनाऊं उनमें यह भी है कि खेती को सहायता करना, यह भी स्टेट बंक का उद्देश्य है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब इस में यहां जोडा नही जा सकता ।

श्री मधु लिमये इस बारे मे मुल्क का समाधान और संतोष हो इस के लिए वह वक्तव्य दे । वरना यदि इनका यही दृष्टिकोण रहा तो यह भी कहा जा सकता है कि तकरीबन 2 हजार करोड रुपये का साधन इस बैंक के पास है । घोटाले मे तो सिर्फ एक करोड ही बरबाद हुआ है । अभी 1 9 सौ निन्यानवे करोड बचा हुआ है खाने पीने के लिए तो जब तक वह पूरा खत्म नही होता तब तक चिंता करने की कोई बात नही है, क्या सरकार ऐसा सोचती है, इस की भी सफाई वह दे ।

अध्यक्ष महोदय : आप रूल्स के बड़े पाबंद है । रूल्स मे एक प्रश्न होना है ।

श्री मधु लिमये : तो आप चलाइए । मुझे कोई एतराज नही है । अगली बार से आप एक प्रश्न को ही चलवाइए, मुझे कोई एतराज नही है ।

अध्यक्ष महोदय: आप फिर कहेगे कि परम्परा है ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU There is nothing mandatory The rule book is only a guidance The rules cannot bind us That should be borne in mind

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । यह नही होना चाहिए कि अगर रूल फिट बैठता है तो रूल आ जाय और परम्परा फिट बैठती है तो वह आ जाय ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) Sir the hon Member has asked me a few questions regarding the subject-matter before the House I have nothing to say about the first part of his speech because it was of a general nature He wanted me to give certain assurances He put certain questions which are rather leading questions I would like to tell him that there was no *ghotala* in the case of the previous 60 lakhs also There was no question of giving any assurance about that There is no question of giving any assurance about this also

As far as the subject matter which is under discussion in the House today is concerned, this is being looked into by an Investigating Officer It has been looked into by a Vigilance Officer Their conclusions results and information I have placed before the House He is right that this Rs 45 lakhs over-stocking certainly has caused damage to the Bank It could have been used for better purposes I do not deny that But at the same time it is not a pure loss There was over stocking and this was certainly done against the rules Rs 45 lakhs worth of stationery is being made use of by distributing to other regional offices and branches wherever it can be made use of Out of Rs 45 lakhs nearly Rs 17 lakhs worth of stationery has already been distributed and the rest will be distributed in course of time This is as far as the other part is concerned

The hon Member asked me how many years would be taken to make the inquiry about the losses because of the inferior quality we used etc It will take some time because this is a very complicated question He should try to understand our difficulties in this It is very difficult to trace some of the inferior materials which have alread been used It has happened in the course of the last four years Some of the things have already been made use of It is very difficult to work out the cost there But whatever has remained, we will try to work it out

I do not think that this hon House should be burdened with appointing a committee to go into the matter There are certain p s [illegible] regulations of the Bank itself and the Bank, according to the rules, is making an investigation This House has the right to bring forward the matter It was very good that it was brought before the House so that we can also look into it I had an opportunity to go into the details of it The general discussions will be helpful to the Bank But I would like to make one more statement here In this, to try to damage the reputation of the State Bank of India is certainly not very commendatory This is deliberately being done as if the State Bank is one of the banks which is not doing good work But I would like to make this claim on behalf of the Bank There may be certain difficulties There were certain affairs which were discussed here, but they were very properly explained in this House If you look at the totality of the working of the State Bank, I would certainly say that it is one of the good banks

SHRI MANORANJAN HAZRA (Arambagh) Hon Member, Shri Madhu Limaye, has made my task easier I do not want to enter into the details of this ugly affair The members of this House remember with a heavy heart the great episode of Nagarwala and Malhotra where Rs 60 lakhs went out of the State Bank of India by the grace of a sweet feminine voice over the telephone Since then, a few months have elapsed and again we are faced with such a situation The hon Minister did not take any lesson from that great episode He did not even think of any future danger Therefore, I want to ask him why he did not keep his Department alert about the repetition of such a thing in some form or other

Now I would like to ask him my second question There is a saying in Bengali—"To hold the Shradh ceremonies of the father of ghosts" while the shradh Ceremonies were being performed in the State Bank of India with these Rs 43/- lakhs, it is a mystery to me how it went unnoticed by the authorities This fact only reveals that there had been gang of conspirators—those who used to

[Shri Manoranjan Hazra]

make their fortune out of such fraudulent activities. And only when the cat come out of the bag with its own enormous notoriety, they took departmental action against the officer who, they thought, was responsible. As you know, in the posthumous famed Glosworthy's Justice, the hero, Falder, had to undergo penal servitude for three years for committing a similar crime.

In our land, the land of great justice men inferior to Falder go unpunished every day in every sphere of life. Therefore I want to ask the Minister whether he would order a judicial probe by appointing a Judge of the Supreme Court with the much talked outlook in conformity with the changing society. My third question is this : in this case the financial rules and regulations had been trampled down from A to Z. I want to know from the Minister whether he is prepared to set up a committee of Members oft his Parliament to probe in to this and make a report to Parliament before the monsoon session.

I hope the Minister will be pleased to reply on all these points.

SHRI YESHWANTRAD CHAVAN : As I have tried to understand the Member, he has asked me three questions. One is : how the Government has taken steps to find out such a thing and also to prevent its recurrence. I would like to tell him that this question was not raised by anybody else. Really speaking, this thing was found out in the Bank itself and immediately when it came to their notice at the end of 1971, they put their Vigilance officer in charge of the matter to look in to the matter and he went into a detailed examination and enquiry and submitted his report some time in the month of June. So, it is not as it if somebody else has given them this information. The bank itself has in built arrangements to go in to these matters and they have done it. It is only after they started action that we knew about it and then it appeared in the Press and this matter was brought here. It is not correct to say that the bank itself has no machinery to take steps against such matters. It is there. He raised two questions. One was about the judicial probe and the other was about the Parliamentary Committee. About the Parliamentary Committee, this was raised by hon Member, Shri Madhu Limaye also. I have answered that it is not necessary. A Member of Parliament has got still more important work to do than going in to these small matters of a bank. There are certainly other officers.

Regarding the judicial probe, this is not a matter in which a judicial probe can be ordered.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : स्पीकर साहब, स्टेशनरी की बाबत स्टेट बैंक आफ इंडिया का जो स्कैण्डल है, इस के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले दोस्तों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मिनिस्टर साहब का एक जवाब सुनकर मुझे बड़ी परेशानी हुई कि इस बैंक के अन्दर 60 लाख का जो घुटाला हुआ था, उस के लिए मिनिस्टर साहब कहते है कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, इनको वहां के हैड कैशियर को डिस्मिस करना पड़ा, उस की वजह से एक आदमी की जान गई, कन्ट्री के अन्दर एक बड़ा भारी हंगामा मचा, फिर भी ये कहते हैं कि स्कैण्डल नही हुआ । इन 60 लाख और 45 लाख के स्कैण्डलो को देखकर हमें मजबूर होकर कहना पडा है —

It is not State Bank of India; it is rather a Scandal Bank of India.

उस के बावजूद भी मिनिस्टर साहब, चव्हाण साहब की पोजीशन का आदमी खड़ा हो कर उन को क्रेडिट देने लगे और कहे—

"One of the best bank of India" To make such a statement is very unfortunate, even in spite of all these scandals in the bank.

मेरी समझ में एक बात तो आ सकती है कि गवर्नमेंट ने इन बैंको को नैशनलाइज किया, अपने हाथ मे लिया और उस के बाद इन की तरफ से नारा दिया गया कि हम गरीबी को दूर करेंगे—शायद इसी लिये इन्होंने बैंको से पावर्टी को रिमूव करने का फैसला किया हो—खाओ, पियो, मजा उड़ाओ जितना भी रुपया निकाला जाये बैंक से—क्या गरीबी को इसी तरह से दूर करने का फैसला किया गया? यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है लेकिन इस तरह का स्कैंडल बैंक में हो और हमारी गवर्नमेंट दो साल तक साइलेन्ट

स्पेक्टेटर की तरह बैठ कर तमाशा देखती रहे यह बात समझ में नहीं आती है । इन्होंने एप्रीशिएट किया कि कालिंग अटेन्शन मोशन देकर गवर्नमेंट का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया गया लेकिन यह बात कितनी सरप्राइजिंग है कि अगर काल अटेन्शन मोशन न दिया जाये तो गवर्नमेंट उसका बिल्कुल नोटिस ही नहीं लेती । (व्यवधान) मैं सारी चीजें जानता हूं, आप लोग स्पीकर का काम अपने जिम्मे क्यों लेते हैं ? क्या उस स्कैंडल के अन्दर आप शामिल हैं इसीलिये इसको दबवाना चाहते हैं? इस देश में कहीं भी करप्शन हो, गवर्नमेंट के इदारों में कोई करप्शन हो तो उसमें क्या आप भागीदार बनना चाहते हैं? क्या आपने इसकी ठेकेदारी उठाई हुई है?

It is for the Speaker to regulate. What I speak is quite relevant to the subject.

मेरी समझ में नहीं आता हर एक आदमी को चेक करने की ठेकेदारी आपने क्यों उठाई हुई है ।

तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि यह जो स्कैन्डल है, इस गबन की बाबत पहली बार कब किस महीने में और किस तारीख को गवर्नमेंट की नोटिस में आया और नोटिस में आने के बाद गवर्नमेंट ने इसमें क्या कदम उठाये? गवर्नमेंट ने अपने आपको उससे एसोशिएट किया या नहीं और इसके बारे में कोई स्टेप्स लिए या नहीं?

दूसरी बात यह है कि मुझे यह इन्फार्मेशन मिली है कि बैंक में कोई छोटी मोटी इरेगुलैरिटीज होती थीं या कोई ऐसी चीजें होती थीं तो उनके बारे में इंक्वायरी जो है वह सी० बी०आई० को एन्ट्रस्ट की जाती थी और इस केस में तो हेवी एमाउन्ट इन्वाल्व्ड है, उसके साथ-साथ बड़े-बड़े आफिसर्स इन्वाल्वड हैं ।

As per the report some big officials are involved. 2 officers are suspended/chargesheeted. 8 employees are chargesheeted.

और भी हाई आफिशियल्स इन्वाल्व्ड हैं, उनके बारे में भी गवर्नमेन्ट जांच पड़ताल कर रही है, उनका भी हाथ इसमें हो सकता है । जब ऐसी चीजें हैं तो जो इंक्वारी है वह सी० बी० आई० को एन्ट्रस्ट क्यों नहीं की गई है? इतना हेवी एमाउन्ट इन्वाल्व होने के बावजूद सी० बी० आई० को इंक्वारी क्यों नहीं दी गई?

तीसरी बात यह है कि जब हाई आफिशियल्स इन्वाल्ड हैं और दो साल हो रहे हैं तो जो एविडेन्स है उसके भी खुर्दबुर्द होने का अन्देशा है, वे आफिशियल्स पेपर्स को इधर-उधर कर सकते हैं तो क्या गवर्नमेन्ट ने अपनी तरफ से भी उस पर कोई स्पेशल आडिट, कोई ऐसा सेल वेरिफिकेशन के लिए सारे एकाउन्ट्स के लिए मुकर्रर किया या नहीं जोकि उन चीजों को देख सके?

इसका एक पहलू और है कि इसमें कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनको आर्डर्स वगैरह दिए गए, जिनसे चीजें ली गईं, जो फर्में स्कैंडल्स से इन्वाल्व्ड हैं उनको इस स्कैन्डल के होने के बाद भी आर्डर्स दिए जा रहेहैं । एक प्रैस की बाबत तो कहा जाता है कि जबसे उसको बैंक से आर्डर्स मिलने लगे हैं उसके बाद में वह प्रेस दिल्ली में चालू किया गया । तो इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट ने कोई ध्यान लगाया या नहीं? उसकी नोटिस में यह सारी चीजें हैं या नहीं? इसमें बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं जो कि स्कैंडल के साथ इन्वाल्व्ड हैं लेकिन उनको अब भी आर्डर्स दिए जा रहेहैं । तो इन सारी चीजों की तफसील हाउस को देने की कृपा करें ।

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : Sir, the hon. Member has asked me two or three questions. One is: Why was it not considered necessary to go to CBI ? From the enquiry that has been made so far it is not found necessary to go to CBI because on the information the charges can be proved against the officers through departmental proceedings. That is why it is not considered necessary to go to CBI. But in the course of investigations we get explanations to

[Shri Yeshwantrao Chavan]

the effect that it is considered necessary to go to CBI possibly the bank can consider that matter. As for the auditing matter is concerned, there is a very regular method of auditing. Every bank has its own auditing system and, therefore, the impression there is no auditing should not persist in the mind of the hon. Member. He also mentioned whether we are still giving orders to the same person for supplies as I mentioned in my statement we are taking certain steps to see that such things are not repeated. I would like to tell him four or five steps taken by the bank : Supplies are now being obtained on the basis of three months requirements and no excess stocks are now being purchased. They are being paid at competitive rates and are at rates laid down by Central Stationery Department, Calcutta. Surplus stationery has been diverted to other Circles of the Bank ; Inventory has been reduced and steps are being taken to have a panel of approved printers and suppliers. At least one of the largest supplier who was involved has already been black-listed and others will be examined on merits whether they need to be proceeded against or not.

11 45 hrs.

PAPAERS LAID ON THE TABLE

SEAMEN'S P.F. (AMDT.) SCHEME, 1972, EXAMINATION OF MASTERS AND MATES (AMDT) RULES, 1973 AND NOTIFICATION UNDER ANDHRA PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION ACT, 1963

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI M. B. RANA) : On behalf of Shri Raj Bahadur I beg to lay on the Table :

(1) (i) A copy of the Seamen's Provident Fund (Amendment) Scheme, 1972 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 949 in Gazette of India dated the 12th August, 1972 together with a copy of 'Errata' published in Notification No. G.S.R. 1515 in Gazette of India dated the 2nd December, 1972 under section 24 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification. [*Placed in Library. See* No. LT-5057/73].

(2) A copy of the Examination of Masters and Mates (Amendment) Rules, 1973 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 272 in Gazette of India dated the 17th March, 1973, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958. [*Placed in Library. See* No. LT-5058/73].

(3) A copy of Notification No. G. O. Rt. 222 (Hindi and English versions) published in Andhra Pradesh Gazette dated the 8th March, 1973 under sub-section (2) of section 9 of the Andhra Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1963 read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 18th January, 1973 issued by the President in relation to the State of Andhra Pradesh. [*Placed in Library. See* No. LT-5059/73].

11 46 hrs.

RE. ARREST OF SHRI JAMBUWANT DHOTE

SHRI BIRENDER SINGH RAO : (Mahendragarh) : Sir, I want to raise a question of privilege regarding Mr. Dhote's arrest. I want one minute only. This constitutes a serious breach of privilege of this House. The member went to his Constituency where people were agitating against food shortage. He was detained under MISA and prevented from attending this House. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : When it comes I shall enquire from the Minister. (*Interruptions*)

SHRI BIRENDER SINGH RAO : He has not been allowed to attend the House. Even when a member is under arrest, he should be allowed to attend the House so that the house may know the conditions in his constituency. The court has struck down certain provisions of the MISA and yet those provisions are being applied against Members of this house. Member's liberty be ensured unless they commit a substantive criminal offence.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : If he had been arrested in violation of section